न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म0प्र0)

प्र.क्र.निगरानी ..../2014–15
निगरानी 101–III–15

Rs. 20/-

850
23-12-14

01. शुभकरण सेन तनय रामगोपाल सेन, उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम असरार, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला–सतना म.प्र.
02. राजनारायण तनय रामगोपाल शर्मा, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम असरार, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र. ....निगराकारगण

बनाम

01. राकेश विश्वकर्मा तनय स्व. साधूलाल विश्वकर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम असरार, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.
02. शासन म.प्र. ....गैरनिगराकारगण

आज दिनांक 23.12.14 द्वारा प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र. द्वारा प्र.क्र.46अ 12/2013–14,पारित आदेश दिनांक05.08.2014।

मान्यवर,

निगराकारगण की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

क्रमांक 4227 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दिनांक 12-1-15 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म प्र. ग्वालियर

01. आवेदक राकेश विश्वकर्मा तनय साधूलाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम असरार, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र. ने आ.नं.–785 रकवा 0.36/0.146 मौजा असरार उन्मूलन के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2014 की तारीख अंकित कर राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र. के समक्ष दिनांक 17.06.2014 को प्रस्तुत किया।
02. आवेदक के आवेदन पत्र पर, राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान द्वारा पटवारी को नाप हेतु मामला दिया गया और पटवारी से नाप कराए जाने का उल्लेख उक्त मामले में पाया जाता है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 09.07.2014 को सूचना जारी कर आ.नं.–758 का सीमांकन दिनांक 10.07.2014 को सायं 4.00 बजे से प्रारंभ होने की सूचना, सूचना पत्र में उल्लिखित है। सूचना पत्र में उत्तर–दक्षिण सरकारी रास्ता, पूरब में शुभकरण सेन, पश्चिम में रामगोपाल सरहद्दी काश्तकारों का उल्लेख है, जिनके हस्ताक्षर सूचना पत्र में नहीं हैं, अर्थात् सूचना नहीं दी गई और मनमानी तौर पर नोट लगाई गई कि सूचना में हस्ताक्षर करने से इंकार किया।
03. पंचनामा दिनांक 10.07.2014 में आ.नं.–8 के सीमांकन किए जाने का विवरण अंकित है, जिसमें प्रार्थी/निगराकरगण के हस्ताक्षर नहीं हैं और उनके सामने कोई नाप नहीं की गई। पटवारी द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके विवरण से स्पष्ट है कि आ.नं.–758 का सीमांकन किए जाने का उल्लेख है।
04. निगराकारगण द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा, तहसील रामपुर बाघेलान के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिस पर राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा द्वारा कोई विचार किए बिना मनमानी व गलत ढंग से निरस्त कर सीमांकन की पुष्टि की गई है जो गलत, मनमानी,अवैध, अधिकारितारहित है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-101/III/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	शुभकरण कार्यवाही तथा आदेश राकेश विश्वकर्मा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-01-16	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त चोरहटा तह० रामपुर बघेलान के के प्र०क्र० 46/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 5-8-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री सतीश सिंह को ग्राह्यता पर सुना गया। तथा अधीनस्थ न्याया० के सीमांकन अभिलेख की निगरानी मेमो के संलग्न प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। आक्षेपित आदेश दिनांक 5.8.14 का अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण सहित समस्त सरहदी कृषकों को सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया तथा आपत्ति का निराकरण करते हुए आपत्ति निरस्त की गई है। जहां तक सूचना न देने की आपत्ति आवेदकगण द्वारा निगरानी मेमो में उठायी गयी है तो उस संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से अपने चुनौती युक्त आदेश में अंकित किया गया है कि शुभकरण सेन एवं राजनारायण के पिता रामगोपाल शर्मा द्वारा सूचना पत्र पर जानबूझ कर हस्ताक्षर नहीं किए गये। इससे यह तो स्पष्ट है कि आवेदकगण को विधिवत सीमांकन की सूचना थी। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि यदि आवेदकगण को कोई गलती समझ में आती है तो वे अपने सर्वे नम्बरों एवं अपने स्वत्व की भूमि का सीमांकन किसी अन्य राजस्व निरीक्षक अथवा सीमांकन दल से या जिला टीम से करा सकते हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में विचाराधीन सीमांकन आदेश दिनांक 5-8-15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अत: अधी० न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।	

[कृ. प. उ.

R-101/III/15 (सतना)

स्थान तथा दिनांक	शुभकरण कार्यवाही तथा आदेश पिकेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तथा पक्षकारों को समझाइश दी जाती है कि यदि उन्हें कोई आपत्ति या परेशानी है तो वे अपने सर्वे नम्बरों का सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र हैं। अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र०वा०R० हो। 12.1.16 (सदस्य)	